

प्रेस नोट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर दिनांक 15.09.2023

धोखाधड़ी कर पैसा हड़प लेने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना रामगढताल के नेतृत्व में, थाना रामगढताल की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0032/2021 धारा 419,420,406,120बी,411 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त सारिक अमान पुत्र अमानुलहक निवासी म0नं0 बी-21 कल्याणपुर थाना तिवारीपुर व स्थायी पता आयूबी मस्जिद के पीछे पिपरापुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण - अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के दुकान से 3,33,661 रूपये का विद्युत सामग्री क्रय किया गया तथा धोखाधड़ी कर पैसा नहीं दिया गया व सामान भी हड़प लिया गया। जिसके संबंध में वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सारिक अमान पुत्र अमानुलहक निवासी म0नं0 बी-21 कल्याणपुर थाना तिवारीपुर व स्थायी पता आयूबी मस्जिद के पीछे पिपरापुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0032/2021 धारा 419,420,406,120बी, 411 भा0द0वि थाना रामगढताल ,गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 0042/2021 धारा 406/420 भादवि थाना रामगढताल ,गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 0043/2021 धारा 120-B, 406, 419, 420, 504 भादवि थाना रामगढताल ,गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शम्भू दयाल मिश्रा थाना रामगढताल गोरखपुर
2. कां0 अनुराग सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. कां0 सुरेन्द्र वर्मा थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. कां0 रोहित रजक, थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर